

अनुसूचित जातियां एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग, हरियाणा
मकान अनुदान योजना
मकान बनाने/मरम्मत के लिए अनुदान हेतु आवेदन-पत्र

सेवा में

जिला/तहसील कल्याण अधिकारी ।

तहसील.....

जिला.....

निवेदन है कि मेरे पास रहने के लिए कोई मकान नहीं है अथवा मेरे पक्के मकान की मरम्मत की आवश्यकता है। अतः आपसे अनुरोध है कि मुझे मकान बनाने/मरम्मत के लिए.....रुपये का अनुदान दिया जाये।

1. आवेदक का नाम.....
2. पिता/पति का नाम.....
3. परिवार के मुखिया का नाम.....
4. जाति.....
5. प्रार्थी कार्य क्या करता/करती है। पूर्ण विवरण सहित सभी साधनों से प्राप्त परिवार की वार्षिक आय.....
6. क्या आवेदक ने पहले विभाग में आवेदन पत्र किया था.....हां.....
नहीं
7. क्या आवेदक का नाम गरीबी रेखा की सूची में दर्ज है ? यदि हां तो (क्र०संख्या)
स्थायी पता मकान नम्बर.....मौहल्ला.....
गांव.....डाकखाना.....
तहसील.....जिला.....
8. आवेदक इस समय कहां रहता है ?
9. क्या आवेदक किराये के मकान में रहता है ? यदि हां तो
किराये की रसीद/इकरारनामा साथ लगायें
10. क्या आवेदक के पास मकान बनाने के लिये कम से कम 50 वर्ग गज भूमि (ग्रामीण क्षेत्र में) या 35 वर्ग गज भूमि (शहरी क्षेत्र में) है ? यदि हां तो प्रमाण साथ लगायें।
11. क्या आवेदक अपने पास से शेष पूंजी लगा सकता है। ?
12. क्या आवेदक ने पहले मकान बनाने के लिए अनुदान या किसी विभाग से ऋण ले रखा है? अगर हां तो किस वर्ष में और किस योजना के अधीन ?
13. क्या आवेदक के पास कृषि योग्य भूमि है ? यदि हां तो कितनी और कहां ? पूर्ण विवरण दें।

दिनांक

आवेदक के हस्ताक्षर/अंगूठा

कार्यालय के प्रयोग हेतु

रिपोर्ट की जाती है कि श्री/श्रीमती.....
पुत्र/पत्नी/विधवा/तलाकशुदा श्री.....जाति.....बी०पी०एल० नं०.....
मौहल्ला.....गांव.....तहसील.....
से संबंध रखता/रखती है। आवेदक के पास कच्चा मकान जिसकी दीवारों में दरारें या छत
कच्ची है जिसकी मरम्मत करनी अनिवार्य है या मकान कच्चा है और मकान गिरने वाला है या...
.....गज का खाली प्लॉट गांव में लाल डोरे के अन्दर है जिसका साईज.....
है जिसके पूर्व में.....पश्चिम में.....उत्तर में.....दक्षिण में.....
.....इन व्यक्तियों के प्लॉट/मकान हैं। आवेदक को स्कीम के अनुसार.....
रुपये की राशि मरम्मत/नया मकान बनाने हेतु सिफारिश की जाती है।

आवेदक द्वारा दिये गये तथ्य सही नहीं पाये गये इसलिए आवेदक का फार्म रद्द
किया जाता है।

तहसील कल्याण अधिकारी/उप-अधीक्षक
आंकड़ा सहायक/सहायक/लिपिक

चैक लिस्ट

1. विधवा स्त्री अपने स्वर्गवासी पति की मृत्यु का प्रमाण-पत्र साथ सलंगन करें।
2. राशन कार्ड की फोटोप्रति अथवा वोटर कार्ड की प्रति।
3. जाति प्रमाण-पत्र (शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित पार्षद द्वारा ग्रामीण क्षेत्र में
सरपंच/अनुसूचित जाति पंच/नम्बरदार द्वारा सत्यापित /जारी किया हुआ)।
4. प्लॉट का प्रमाण पत्र (ग्रामीण क्षेत्र में सरपंच अथवा हल्का पटवारी द्वारा तथा
शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित वार्ड पार्षद द्वारा प्रमाणित)।
5. इकरारनामा अथवा किराये की रसीद यदि प्रार्थी किराये के मकान में रहता है।

पावती

श्री/श्रीमती.....पुत्र/पति.....
निवासी.....का आवेदन पत्र प्राप्त किया व ठीक पाया गया तथा
डायरी क्रमांक नं०दिनांक.....पर दर्ज किया गया है।

सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी का नाम
पदनाम तथा मोहर सहित हस्ताक्षर

अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती.....
.....पिता/पति का नाम.....गांव.....
.....तहसील..... जिला.....जाति से
संबंध रखता/रखती है। यह जाति हरियाणा में अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के अन्तर्गत
आती है। यह प्रमाण-पत्र केवल मकान अनुदान योजना के लिए ही मान्य होगा।

1. सरपंच/अनुसूचित जाति पंच/नम्बरदार/
अनुसूचित जाति नम्बरदार (ग्रामीण क्षेत्र के
लिए)
2. सम्बन्धित वार्ड पार्षद (शहरी क्षेत्र के लिए)